भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3740

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

3740. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ अन्य देशों (विदेशी कंपनियों) ने देश में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा बनाए गए विद्युत उपकरणों के प्रमाणन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित देशों के भारतीय मिशनों/दूतावासों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चीन में निर्मित उपकरणों पर अंकुश लगाने और विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण में फर्मों को आकर्षित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहलों के अंतर्गत समर्पित 'विनिर्माण क्षेत्रों' की स्थापना की है/स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा 1503.21 बिलियन अमरीकी डॉलर के वैश्विक विद्युत उपकरण बाजार, जिसमें चीन की हिस्सेदारी पहले से ही 500 बिलियन डॉलर की है, पर कब्जा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (आईईईएमए) ने कुछ विदेशी यूटिलीटियों द्वारा, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं करने पर चिंता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16.02.2023 को संबंधित देशों के भारतीय मिशनों/दूतावासों के साथ बैठक की। उद्योग द्वारा सूचित की गई चुनौतियों से मिशनों

को अवगत कराया गया था। बैठक में, सीपीआरआई के प्रत्ययपत्रों एवं प्रमाणनों के बारे में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ इसकी तुलना सहित जानकारी दी गई और यह बताया गया कि सीपीआरआई प्रयोगशालाओं की सुविधाएं अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समकक्ष हैं। भारतीय मिशनों ने मुद्दों के समाधान के लिए इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाने की सूचना दी है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने संयुक्त रूप से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने और भारत को विद्युत एवं नवीकरणीय उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के लिए "विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण अञ्चल की स्थापना" हेतु एक स्कीम शुरू की है। प्रयोग के तौर पर, एमओपी तथा एमएनआरई ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक के दौरान, 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, एक ब्राउनफील्ड विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई थी और बोलियों के मूल्यांकन के बाद, विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए विनिर्माण अंचल स्थापित करने का कार्य मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को अवार्ड किया गया है।

(ङ) : विद्युत उपकरण क्षेत्र सहित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

(i) स्वदेशी विनिर्मित वस्तुओं संबंधी खरीद वरीयता प्रदान करने के लिए औद्योगिक स्टीम जेनरेटरों/बॉयलरों के संबंध में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) संबंधी आदेश जारी किया गया है।

(ii) नए बाजारों को विकसित करने, नए उत्पादों और नए निर्यातकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौजूदा भारतीय निर्यात बाजारों को समेकित करने के लिए वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमएआई स्कीम के तहत सहायता प्राप्त गतिविधियों में विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों (बीएसएम), भारत में रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) के आयोजन/में प्रतिभागिता तथा निर्यातकों द्वारा निरीक्षण प्रभारों आदि उत्पाद पंजीकरण प्रभारों, संयंत्र निरीक्षण प्रभारों आदि जैसे वैधानिक अनुपालनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।

(iii) निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम दिनांक 01.01.2021 से लागू की गई है।

(iv) भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते, नामतः भारत-यूएई व्यापक भागीदारी समझौता और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते ने विद्युत उपकरणों के लिए व्यापक बाजार पहुंच प्रदान की है।

(v) निर्यातकों द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का उपयोग बढ़ाने के लिए मूल देश प्रमाण पत्र हेतु सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

(vi) प्रत्येक जिले में निर्यात संभाव्य वाले उत्पादों की पहचान करने, इन उत्पादों के निर्यात की बाधाओं को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को समर्थन देकर जिलों का निर्यात हब के रूप में शुभारंभ किया गया है।

(vii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी तथा निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

****